न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 59/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मनोज कुमार पिता प्रेमशंकर शर्मा निवासी गुढानाथावतान त0एवं जिला बून्दी	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 08/08/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 11.07.2018 को अपील जरिये डाक प्राप्त हुई। अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 829186 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 02.06.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा को जरिये डाक प्रेषित किया निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.06.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी को दूरभाष पर सुनवाई की तारीख दिनांक 08.08.2018 के लिए सूचित किया तथा स्वयं ने उपस्थित होने के लिए सहमति दूरभाष पर दी। प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रथम सुनवाई दिनांक 08.08.2018 को अपीलार्थी अनुपस्थित । प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2018/232 दिनांक 19.06.2018 से अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 02.06.2018 से चाही गई सूचना तैयार की जाने व राशि जमा कराने हेतु सूचना पत्र जारी किया । उक्त सूचनापत्र के आधार पर अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर हमदस्त सूचना दिनांक 04.07.2018 को प्राप्त की जिसकी प्राप्ति रसीद उक्त सूचना पत्र पर अंकित है । अपीलार्थी को प्रेषित सूचना एवं पावती की फोटो प्रति प्रत्यर्थी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना समयावधि में उपलब्ध करादी गई। फिर भी यह अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थी के आवेदन एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 02.06.2018 में अंकित बिन्दु की सूचना तैयार कर दिए जाने एवं राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी को प्रेषित पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2018/232 दिनांक 19.06.2018 की प्रति प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत है। उक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना तैयार होने एवं राशि जमा कराने से सम्बन्धित जारी पत्रांक 232 दिनांक 19.06.2018 जारी किया गया है जो समयावधि में जारी किया गया और इसी के आधार पर स्वयं अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 04.07.2018 को स्वयं ने उपस्थित होकर राशि जमा करा सूचना प्राप्त किया जाना सिद्ध होता है। अर्थात अपीलार्थी को जो सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध थी वह उपलब्ध करा दी गई। अपीलार्थी के द्वारा सूचना अधूरी होना अपील मीमों में अंकित किया परन्तु स्पष्ट नहीं किया । सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना तैयार कर दिए जाने के प्रावधान नहीं है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 08/08/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा